प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

24 जून 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन' का मसौदा जन सामान्य की टिप्पणियों के लिए जारी किया है।

इस मार्गदर्शन का मसौदा निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू है:

(i) वाणिज्यिक बैंक
(ii) लघु वित्त बैंक
(iii) भुगतान बैंक
(iv) स्थानीय क्षेत्र बैंक
(v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(vi) शहरी सहकारी बैंक
(vii) ग्रामीण सहकारी बैंक
(viii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
(ix) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
(x) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
(xi) साख सूचना कंपनी

2. मार्गदर्शन के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, जन सामान्य और अन्य हितधारकों से 24 जुलाई 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते:

मुख्य महाप्रबंधक, परिचालन जोखिम समूह,
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई – 400 001
या

ई-मेल द्वारा **'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन पर प्रतिक्रिया'** विषय के साथ भेजी जा सकती हैं।

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "क्रेडिट में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों" का मसौदा 5 अगस्त 2024 को जारी किया था, जिसका उद्देश्य क्रेडिट में मॉडल के उपयोग से संबंधित अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना था, जिसके बाद 13 अगस्त 2025 को कृत्रिम बुद्धिमता के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमकरण (FREE-AI) के ढांचे पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। चूंकि मॉडल का उपयोग काफी बढ़ गया है और विनियमित संस्थाएं विभिन्न कारोबारी और निर्णयन प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता / मशीन लर्निंग (एआई / एमएल) सहित मॉडल का उपयोग कर रही हैं; उनके अभिशासन, निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण में कमजोरियां, विनियमित संस्थाओं को वित्तीय, परिचालन, अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों में डाल सकती हैं। इस बात को समझते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज **'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन'** का मसौदा जारी किया है, जो मॉडल जीवनचक्र में मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र और व्यापक विनियामक अपेक्षाएं प्रदान करता है। यह मार्गदर्शन विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी मॉडलों पर लागू होता है, जिसमें अन्य पक्षकार के मॉडल और एआई / एमएल का उपयोग करने वाले मॉडल शामिल हैं।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/528